उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या- 95/2016/442/38-1-2016-3563/2014

लखनऊः दिनांकः 01 जून, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु खण्ड विकास अधिकारियों की कमी के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-123/2015/194/38-1-2015-3563/2014, दिनांक 09.04.2015 द्वारा कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन विकास खण्डों हेतु खण्ड विकास अधिकारियों के वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/- में 100 से अनधिक निःसंवर्गीय पद माह अप्रैल, 2015 से 29 फरवरी, 2016 तक के लिए सृजित करने तथा उक्त सृजित पदों पर सेवानिवृत्त खण्ड विकास अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29.02.2016 तक पुनर्योजित किये जाने एवं पुनर्योजन के फलस्वरूप इनका पदनाम विशेष कार्याधिकारी (खण्ड विकास) पदेन खण्ड विकास अधिकारी रखे जाने की स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/83, दिनांक 15.12.1983 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1329/दस-97-930/83 दिनांक 27.09.1997 में उल्लिखित कतिपय प्रावधानों/सेवा शर्तो के अनुसार प्रदान की गयी थी।

2- सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या- 123/2015/194/38-1-2015-3563/2014, दिनांक 09.04.2015 द्वारा विशेष कार्याधिकारी (खण्ड विकास) पदेन खण्ड विकास अधिकारी के सृजित 100 से अनधिक निःसंवर्गीय पदों में से 87 पदों की निरन्तरता दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक चलते रहने की निम्न सेवा-शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
2. पुनर्योजित सरकारी सेवक को अस्थाई कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2-4 के सहायक नियम 157-ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
3. पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे, जैसाकि यात्रा भत्ता नियम 17-ए में प्राविधान है।
4. पुनर्योजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने के पहले किसी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है व जिस पद पर उन्हें पुनर्योजित किया गया है वह भी निर्धारित अवधि के पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस शर्त के अधीन रहते हुए उन पर अन्य सेवा शर्ते वही होंगी, जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती है।
5. पुनर्योजन की अवधि में अस्थाई/तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होंगी किन्तु ऐसे पुनर्योजन के मामलों में जिनमें केवल समेकित वेतन ही अनुमन्य किया जाता है, जिसके साथ न मंहगाई भत्ता दिया जाता है और न वेतन में मंहगाई भत्ते का अंश सम्मिलित होता है, तो पेंशन पर अनुमन्य राहत मिलती रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुन्र्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो।
7. पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो उसे पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
8. राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य पद के अनुरूप गृह आवास भत्ता स्वीकृत किया जा सकेगा।
9. पुनर्योजन की अवधि में आवासीय टेलीफोन की सुविधा एस0टी0डी0 रहित समकक्ष राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के अनुरूप ही अनुमन्य होगी।
10. पुनर्योजन की अवधि में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा समकक्ष राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के अनुरूप ही अनुमन्य होगी।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- आयोजनेत्तर -102 सामुदायिक विकास-03 मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-481/दस-2016, दिनांक 01.06.2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

अजय कुमार उपाध्याय
सचिव।

संख्या-95/2016/442(1)/38-1-2016,तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2,
7. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 / वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. कार्मिक अनुभाग-1/2
9. गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in